संख्या- 52/3032/71-1-2014-जी-351/2014

प्रेषक

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 02 दिसम्बर, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ एवं छात्र वेतन में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/493, दिनॉक 20-10-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के जूनियर एवं सीनियर रेजीडेन्ट के वेतन भुगतान हेतु अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में वेतनादि मदों में हो रही बचत रू0 1,43,16,000/- (रू0 एक करोड़ तैतालिस लाख सोलह हजार मात्र) को मेडिकल कालेज आजमगढ़ हेतु मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ एवं छात्र वेतन में रू0 1,43,16,000/- (रू0 एक करोड़ तैतालिस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-24- मेडिकल कालेज, आजमगढ़" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2420/दस-2014, दिनॉक 25 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है। भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:- 52/3032(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5- मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/गार्ड फाइल। आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in